

24/10/22

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~नोट प्रेस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो ।

→

with date
with